अध्याय V

वित्तीय समावेशन : नीति एवं प्रगति

5.1 बैंकिंग और भुगतान सेवाएं सभी को प्रदान करने तथा ऋण देने के प्रारूपों में सुधार करने, विशेष रूप से, जनसंख्या के कमजोर वर्ग के लिए, को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय समावेशन कार्यसूची तैयार की गई है। संवहनीय एवं मापनीय वित्तीय समावेशन प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों, नए उत्पाद एवं अन्य सहयोगी उपायों के प्रावधानों में समुचित रियायत जैसी अनेक रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

I. वित्तीय समावेशन : नीतिगत दृष्टिकोण एवं हस्तक्षेप

रिज़र्व बैंक ने पिछले दशक से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए हैं:

प्रतिनिधि बैंकिंग को अनुमति प्रदान करना

5.2 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कारोबार सुलभकर्ता और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यवर्ती संस्थाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है। बीसी मॉडल के अंतर्गत बैंकों को अनुमति है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी जमा और नकदी निकाल संबंधी लेनदेन की सुविधा प्रदान करें, इस प्रकार ग्रामीणों को होने वाली समस्यों का समाधान होगा।

2,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना

5.3 देश के बैंक रहित सभी गाँवों में द्वारस्थ बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है। पहले चरण (2010-13) के दौरान 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित सभी गाँवों को चिह्नित किया गया था और इन्हें राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के माध्यम से अनेक तरीकों यथा - शाखा अथवा बीसी अथवा अन्य तरीके यथा एटीएम, मोबाइल वैन इत्यादि के जरिए विभिन्न बैंकों (सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को आबंटित किया गया। पहले चरण के दौरान एसएलबीसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले 74,414 बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग आउटलेट खोले गए। इस प्रकार से खोले गए बैंकिंग आउटलेट में 2,493 शाखाओं के अतिरिक्त, बीसी के जरिए खोले गए आउटलेट 69,589 और अन्य तरीकों के जरिए खोले गए 2,332 आउटलेट शामिल हैं।

2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग आउटलेट खोलना

5.4 पहले चरण की योजना को पूरा करने के बाद, 2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए दूसरा चरण (2013-16) प्रारंभ किया गया। 2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित 4,90,298 गाँवों को चिह्नित किया गया और इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पूरे देश में एसएलबीसी के जरिए विभिन्न बैंकों (सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को आबंटित किया गया। 30 जून 2016 को प्रस्तुत एसएलबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 4,52,151 गाँवों में 14,976 शाखाओं, 4,16,636 बीसी एवं 20,539 अन्य तरीकों यथा एटीएम, मोबाइल वैन इत्यादि के जरिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई जिससे 92.2 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका।

वित्तीय समावेशन की योजनाएं

5.5 सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सूचित किया कि वे अपनी कारोबार रणनीतियों तथा तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अपनी बोर्ड कार्पोरेट रणनीतियों के आंतरिक भाग के रूप में बोर्ड-अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) तैयार करें। एफआईपी को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें और इसे तीन वर्षों में लागू करें। इन योजनाओं में आम तौर पर खोली गई ग्रामीण भौतिक शाखाएं; नियोजित कारोबार प्रतिनिधि (बीसी); बैंक रहित गाँवों में शाखाओं/बीसी/अन्य तरीकों से बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) खोलना; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) निर्गत करने के संबंध में स्व-निर्धारित लक्ष्य और वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए अन्य विशिष्ट उत्पाद शामिल हैं।

5.6 अप्रैल 2011 में, घरेलू एससीबी को निर्देशित[1] किया गया कि वे वर्ष के दौरान खोली जाने वाली कुल शाखाओं का कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (टियर– 5 और टियर-6) केंद्रों पर खोलें। उसके पश्चात, वर्ष 2013 में, बैंकों को सूचित किया गया है कि वर्ष 2013-16 की अवधि के लिए अपने एफआईपी के अनुसार तीन वर्षों में बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों पर शाखाएं खोलने की सूची प्रस्तुत करें। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खोलने को बढ़ावा देने के लिए बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएं (एक वर्ष में 25 प्रतिशत से अधिक) खोलने के लिए 'क्रेडिट' प्रदान किया गया, साथ ही यह अनुमति भी प्रदान की गई वे उस 'क्रेडिट' को एफआईपी के अगले वर्षों के लिए भी आगे ले जा सकते हैं।

अपने ग्राहक को जानें संबंधी मानदंडो में रियायत दी गईं

5.7 इस बात को स्वीकार करते हुए कि केवाईसी ज़रूरतें और संबंधित दस्तावेज संभवत: बैंक खाता खोलने में आम लोगों के लिए अड़चन पैदा करते हैं, इसलिए बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी मानदंड़ों को यथा संभव सरल किया गया। परिणामस्वरूप, छोटे खाते बैंक पदाधिकारियों के समक्ष स्व-प्रमाणन के साथ खोले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आधार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), भारत सरकार द्वारा आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी जरूरत को पूरा करने के लिए पात्र दस्तावेजों में से एक दस्तावेज के रूप प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। सितंबर 2013 में, बैंकों को आधार आधारित ई-केवाईसी सेवाएं का उपयोग करने की अनुमति दी गई, जिससे सभी लोगों के लिए बैंक खाता खोलना आसान हो गया और बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना सहज हो गया।

II. हाल की नीतिगत पहल एवं गतिविधियां

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लिए संशोधित दिशानिर्देश

5.8 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का संबंध अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जैसे कि कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवहार्य और विश्वसनीय कम आय वाली आवासीय परियोजनाएं से है जिन्हें विशेष व्यवस्था के अभाव में समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिलता है। रिज़र्व बैंक की प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी नीति में यह उल्लेख किया गया है कि बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार अपने सामान्य कारोबार परिचालन के रूप में ही देना है न कि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में देना है। इस पक्ष के लिए सभी ऋण का मूल्य-निर्धारण मुक्त कर दिया गया है, यद्यपि आशा है कि यह नुकसानदायक नहीं साबित होगा।

5.9 रिज़र्व बैंक[2] द्वारा गठित आंतरिक कार्यकारी समूह की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश अप्रैल 2015 में जारी किए गए थे जिनकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:

- छोटे और सीमांत किसानों के लिए अलग से 8 प्रतिशत[3] (18 प्रतिशत के कृषि लक्ष्य के भीतर) का लक्ष्य और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 7.5 प्रतिशत का लक्ष्य 2017 तक प्राप्त किया जाना है। 2017 में समीक्षा करने के बाद, 2018 से 20 से अधिक शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों पर यही लक्ष्य लागू किए जाएंगे।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसमें मध्यम उद्यम, विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा (सौर आधारित पॉवर जनरेटर, बायोमास आधारित पॉवर जनरेटर, विंड मिल, माइक्रो-हाइडेल संयत्र इत्यादि के लिए ₹150 मिलियन तक के बैंक ऋण) को शामिल किया जा सके। वैयक्तिक हाउसहोल्ड के लिए ऋण सीमा प्रति उधारकर्ता ₹1 मिलियन है।
- वर्ष 2016-17 से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी अनुपालन पर निगरानी औसतन 'तिमाही' आधार पर की जाएगी।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक पात्र कारोबार करने योग्य लिखत के रूप में माना गया है।
- ₹1 मिलियन तक के शिक्षा ऋण (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ऋण शामिल हैं) को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए पात्र है, भले ही मंजूर की गई राशि कितनी भी बड़ी हो।

[1] मौद्रिक नीति वक्तव्य अप्रैल 2011

[2] https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=9688&Mode=0.

[3] सभी पीएसएल लक्ष्य बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) (जो कि अधिक हो), के संदर्भ लागू हैं।

- 20 से कम शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंक 32 प्रतिशत तक निर्यात ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के तहत रखने के लिए पात्र हैं। 20 शाखाएं और उससे अधिक शाखाएं रखने वाले घरेलू बैंक और विदेशी बैंकों के लिए पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वृद्धिशील निर्यात ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) (जो कि अधिक हो) के 2 प्रतिशत तक की ऋण राशि को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अधीन पात्र माना गया है।
- 20 से कम शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों को एएनबीसी अथवा सीईओबीई, जो भी अधिक हो, के 40 प्रतिशत के कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य को वर्ष 2020 तक चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करना है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

5.10 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र योजना 7 अप्रैल 2016 को परिचालित की गई थी ताकि बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो सके। साथ ही, इससे निर्धारित लक्ष्य से लक्ष्य प्राप्त करने वाले बैंक अपने अधिशेष को बेच सकेंगे जिससे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत इस वर्ग को दिए गए ऋण में वृद्धि होगी।

5.11 पीएसएलसी योजना[4] ऐसे बैंक, जो पीएसएल लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, को उन बैंकों से जिनके पास निर्धारित लक्ष्य से अधिक पीएसएल ऋण हैं, से पीएसएलसी की खरीद करके अपने पीएसएल लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। बैंकों द्वारा चार प्रकार के पीएसएलसी अर्थात -सामान्य, कृषि, छोटे और अति लघु किसानों तथा सूक्ष्म उद्यमों, की खरीद/बिक्री की जा सकती है। पीएसएलसी की ट्रेडिंग के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक पात्र हैं। पीएसएलसी प्रणाली उधार जोखिम अथवा अंतर्निहित आस्तियों का अंतरण नहीं करती है।

5.12 बैंकों को पीएसएलसी में ट्रेडिंग करने के लिए रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पोर्टल ई-कुबेर के जरिए ऑनलाइन बेनामी ट्रेडिंग प्लेटफार्म की सुविधा प्रदान की गई है। पीएसएलसी का आकार मानक अर्थात ₹2.5 मिलियन अथवा इसके गुणक में होता और इनकी वैधता वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक रहती है अर्थात ये कभी भी जारी किए गए हों, वैधता 31 मार्च तक ही रहती है। सितंबर 2016 को समाप्त स्थिति के अनुसार इसमें कुल लेनदेन की मात्रा लगभग ₹140 बिलियन रही थी।

एफआईपी का तीसरा चरण

5.13 मार्च 2016 में एफआईपी के दूसरे चरण (2013-16) की समाप्ति के बाद, सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) को सूचित किया गया कि वे अगले तीन वर्ष अर्थात 2016-19 के लिए बोर्ड अनुमोदित एक एफआईपी लक्ष्य निर्धारित करें। सशक्त निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए बैंकों को भी सूचित किया गया कि वे एफआईपी के तहत हुई प्रगति के संबंध में जिला स्तर के आंकड़े प्रस्तुत करें। 30 सितंबर 2016 की स्थिति के अनुसार कतिपय प्रमुख मानदंड़ों के लिए अपने एफआईपी के तहत बैंकों द्वारा दर्ज प्रगति इस प्रकार है:

- ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग आउटलेट की संख्या मार्च 2010 के 67,694 से बढ़कर सितंबर 2016 में 5,89,849 हो गई।
- बीसी के जरिए कवर किए गए शहरी केंद्रों की संख्या मार्च 2010 के 447 से बढ़कर सितंबर 2016 में 91,039 हो गई।
- बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) की कुल संख्या मार्च 2010 के 73.5 मिलियन से बढ़कर सितंबर 2016 में 495.02 मिलियन हो गई। बीएसबीडीए में हुई भारी बढ़ोतरी में भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का योगदान हो सकता है।

[4] https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=10339&Mode=0.

- जारी किए गए केसीसी की कुल संख्या मार्च 2010 के 24.3 मिलियन से बढ़कर सितंबर 2016 में 46.4 मिलियन हो गई।
- जारी किए गए जीसीसी की कुल संख्या मार्च 2010 के 1.4 मिलियन से बढ़कर सितंबर 2016 में 11.5 मिलियन हो गई।
- इन वर्षों के दौरान बीसी-आईसीटी लेनदेनों में काफी वृद्धि हुई। मार्च 2010 को समाप्त तिमाही में दर्ज 26.5 मिलियन लेनदेनों से बढ़कर सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में 550.6 मिलियन हो गए।

वित्तीय समावेशन के संबंध में मध्यावधि पथ के विषय पर समिति

5.14 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित वित्तीय समावेशन के संबंध में मध्यावधि पथ पर समिति ने दिसंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति द्वारा की गई अनेक सिफ़ारिशों में से कई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों को लागू किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

- भारतीय बैंकिंग संघ (आईबीए) को बीसी रजिस्ट्री और बीसी प्रमाणन से संबंधित फ्रेमवर्क जारी किया गया।
- चल आस्ति पंजीकरण की शुरूआत।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के भाग के रूप में क्रॉप-मैपिंग और नुकसान मूल्यांकन के लिए यूनिवर्सल क्रॉप इंश्यूरेंस और सैटलाइट इमेज।
- एनएफएस से जुड़े एटीएम के जरिए मोबाइल नं. का पंजीकरण।
- क्षेत्रीय कार्यालय में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाना।

5.15 कार्यान्वित की जा रही कई सिफ़ारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं: एमएसएमई के लिए पेशेवर उधार मध्यवर्ती संस्थाएं/सलाहकार संबंधी प्रणाली की शुरूआत, पूरे देश में वित्तीय साक्षरता और समावेशन के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण, वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगों द्वारा स्व-शिक्षण को बढ़ावा के लिए 100 स्थानों पर कीओस्क (30 संवादमूलक और 70 गैर-संवादमूलक) लगाने के लिए प्रायोगिक परियोजना, वित्तीय साक्षरता कैंप के प्रभाव का मूल्यांकन और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे द्वारा लीड साक्षरता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम तैयार करना।

वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी)

5.16 रिज़र्व बैंक द्वारा सतत आधार पर वित्तीय समावेशन की नीतियों की समीक्षा करने तथा एफआई के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के संबंध में विशेषज्ञ परामर्श देने हेतु वर्ष 2012 में वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) का गठन किया गया था। अनेक हितधारकों के एफआई प्रयासों का सम्मिश्रण करने की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए एफआईएसी का पुनर्गठन जुलाई 2015 में किया गया था जिसमें भारत सरकार, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं जिसका नए सिरे से जोर एफआई तथा वित्तीय साक्षरता नीतियों तथा प्रगति की समीक्षा और निगरानी; प्रभाव का मूल्यांकन करना और वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) तैयार करने पर है।

5000 से अधिक आबादी वाले गांव, जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, में बैंकों की भौतिक शाखाएं खोलने की योजना तैयार करना

5.17 बैंकिंग विस्तार और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भौतिक शाखाएं एक अभिन्न घटक है और इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 5000 से अधिक आबादी वाले गांव, जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं नहीं हैं, में बैंकों की शाखाएं खोलने पर ध्यान दिया जाए। इसलिए, सभी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) समन्वयक बैंकों को सूचित[5] किया गया था कि वे अपने राज्य में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को चिह्नित करें जिनमें एससीबी को कोई शाखा नहीं है। इस संबंध में एसएलबीसी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार 6,593 गांवों की पहचान की गई और उन गांवों में शाखाएं खोलने के लिए एससीबी (आरआरबी शामिल हैं) को आबंटित कर दिया गया है। इस योजना के तहत भौतिक शाखाएं खोलने का कार्य मार्च 2017 तक पूरा किया जाना है।

[5] आरबीआई परिपत्र सं. एफआईडीडी.केंका.एलबीएस.बीसी.82/02.01.001/2015-16 दिनांक 31 दिसंबर 2015

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण-प्रवाह को संगत बनाना

5.18 अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को समय पर वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए अगस्त 2015 में बैंकों को सूचित[6] किया गया कि वे एमएसई क्षेत्र से संबंधित ऋण देने की मौजूदा नीतियों की समीक्षा करें और इन नीतियों में मीयादी ऋण के संबंध में अतिरिक्त उधार सुविधा की मंजूरी के लिए प्रावधान, अतिरिक्त कार्यशील पूंजीगत सीमा, नियमित कार्यशील पूंजीगत सीमा और ऋण देने के निर्णय की समय-सीमा के निर्धारण की मध्यावधि समीक्षा शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास संबंधी ढांचा

5.19 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खातों में दबाव समाप्त करने के लिए सरल और त्वरित प्रणाली प्रदान करने हेतु मार्च 2016 में बैंक को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास संबंधी फ्रेमवर्क' जारी किया गया। इस फ्रेमवर्क के तहत ₹250 मिलियन तक की ऋण सीमा रखने वाली एमएसएमई इकाइयों का पुनरुद्धार एवं पुनर्वास किया जाएगा।

एमएसएमई क्षेत्र को वित्त देने हेतु बैंकिंग स्टाफ-सदस्यों की क्षमता-निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन

5.20 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने का कार्य करने वाले बैंक के फील्ड स्तर के स्टाफ-सदस्यों में उद्यमी संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अगस्त 2015 में रिज़र्व बैंक ने सीएबी, पुणे के साथ मिलकर 'एमएसएमई क्षेत्र को वित्त देने हेतु बैंकिंग स्टाफ-सदस्यों की क्षमता-निर्माण के लिए राष्ट्रीय मिशन' (एनएएमसीएबीएस) नाम से क्षमता-निर्माण कार्यक्रम की शुरूआत की जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया था:

(i) वाणिज्यिक बैंकों के एमएसएमई प्रभाग के प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ii) वाणिज्यिक बैंक के स्वामित्व वाले प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण।

(iii) एमएसएमई के लिए विशेषज्ञ शाखाओं के प्रभारियों के लिए क्षमता-निर्माण।

वित्तीय साक्षरता की पहल

5.21 भारत में वित्तीय साक्षरता एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय समावेशन के लिए मांग पक्ष को समर्थन प्रदान करती है। वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पैन-इंडिया बेसलाइन सर्वेक्षण किया जा रहा है। पांच लक्ष्य समूहों यथा किसान, छोटे उद्यमी, स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी), स्कूल के विद्यार्थी और वरिष्ठ नागरिकों हेतु लक्ष्योन्मुख विषय-वस्तु वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय साक्षरता के अनुकूल कार्यक्रम के लिए तैयार की जा रही है। मौजूदा एफएलसी संरचना को बढ़ाने के लिए ब्लाक स्तर पर 100 एफएलसी केंद्रों की स्थापना हेतु एक प्रायोगिक परियोजना का कार्य शुरू किया गया है।

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के कार्य

5.22 बैंकों के वित्तीय साक्षरता केंद्रों के लिए दिशानिर्देश तथा एफएलसी एवं ग्रामीण शाखाओं द्वारा कैंप के संचालन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश जनवरी 2016 में संशोधित किए गए थे। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सुदृढ़ एफएलसी ढांचे के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां लागू करें ताकि एफएलसी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें तथा एफएलसी काउंसलर्स की नियुक्तियां की जा सकें। मार्च 2016 के अनुसार 1384 एफएलसी कार्यरत थे। एफएलसी द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान 87,710 वित्तीय साक्षरता गतिविधियां (आउटडोर कैंप) आयोजित की गई।

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) की स्थापना के लिए प्रायोगिक परियोजना

5.23 मौजूदा एफएलसी की कुछ ही राज्यों में विषम विभाजन की चुनौती को देखते हुए सीमित आउटरीच कार्यक्रम तथा निचले स्तर पर वित्तीय साक्षरता पर खासतौर से फोकस करने के लिए रिज़र्व बैंक कुछ राज्यों में ब्लॉक स्तर पर प्रायोगिक आधार पर सीएफएल की स्थापना करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित कर रहा है। ब्लॉक स्तर पर सीएफएल परियोजना के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:

ए) क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण (ब्लॉक)

बी) कैंपों की समय-सारणी

[6] उनके 'कार्यकाल' के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण प्रवाह के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के ऋण प्रवाह को संगत बनाना, आरबीआई परिपत्र https://rbi.org.in/SCRIPTS/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=10000.

सी) कुशल कार्यबल

डी) एनजीओ के साथ भागीदारी

ई) प्रौद्योगिकी का प्रयोग

एफ) एक समान नाम और लोगो 'वित्तीय साक्षरता के लिए मुद्रावार केंद्र

5.24 वित्तीय समावेशन निधि की सहायता से 10 राज्यों में 100 सीएफएल की स्थापना करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। योग्य एनजीओ/संस्थाओं के साथ भागीदारी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं ताकि वित्तीय साक्षरता गतिविधियों के संचालन के लिए और अधिक कुशल दृष्टिकोण/पद्धति अपनाई जा सके।

वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता से संबंधित तकनीकी समूह

5.25 एफएसडीसी उप-समिति के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के संबंध में एक तकनीकी समूह का गठन नीतिगत स्तर पर वित्तीय समावेशन और साक्षरता के प्रयासों के साथ समन्वय करने के लिए किया गया है। इस समूह के अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर हैं और इसमें सभी विनियामकों तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना की गई है जिसमें सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ताकि वित्तीय शिक्षण संबंधी राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई) को कार्यान्वित किया जा सके। एनसीएफई की मुख्य भूमिका वित्तीय शिक्षण पर सामग्री बनाना है तथा पूरे देश में वित्तीय शिक्षण का अभियान चलाना है।

तकनीकी समूह के अधीन की गई कुछ पहल के ब्योरे इस प्रकार हैं:

किओस्क परियोजना

5.26 वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए पांच राज्यों में प्रायोगिक आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर जैसे बैंकों, डाकघरों, कलेक्टर कार्यालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के पास लगभग 100 किओस्क (30 इंटरऐक्टिव किओस्क तथा 70 गैर-इंटरऐक्टिव एलएफडी) को लगाने की कार्रवाई की जा रही है। किओस्क में संदेश विभिन्न भाषाओं में प्रदर्शित किए जाएंगे जिनका नियंत्रण एक केंद्रीय स्थान से किया जाएगा।

स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षण का समावेश

5.27 सीबीएसई, एनसीएफई के साथ मिलकर कक्षा VI से कक्षा X तक के लिए वित्तीय शिक्षण वर्कबुक तैयार की गई है; इस संबंध में सीबीएसई का अंतिम अनुमोदन लिया जा रहा है। इस बीच, रिज़र्व बैंक राज्य शिक्षा बोर्डों से भी संपर्क कर रहा है कि उनके अधिकारक्षेत्र में आने वाले स्कूल के पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षण से संबंधित वर्कबुक को शामिल किया जाए और उसे विभिन्न विषयों के साथ जोड़ा जाए। चार राज्य सरकारें यथा - गोवा, मेघालय, जम्मू-कश्मीर तथा मिजोरम सरकारों ने सैद्धांतिक रूप से राज्य बोर्ड स्कूलों के पाठ्यक्रम में वित्तीय समावेशन शिक्षण को शामिल करने की सहमति दे दी है। अन्य राज्य सरकारों से हो रही चर्चाएं अलग-अलग अवस्था में है।

III. भावी दिशा

वित्तीय साक्षरता स्तर में सुधार लाना

5.28 आगे चलकर, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता के स्तर में सुधार लाने के लिए भी परिकल्पना की है जिसमें एफएलसी सलाहकारों और ग्रामीण क्षेत्र के बैंक शाखा प्रमुखों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम तैयार करना और इन्हें लागू करना तथा लोगों के वित्तीय ज्ञान, रुख और व्यवहार के बारे में जानना शामिल हैं।

बीसी मॉडल को बढ़ावा देना

5.29 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीसी के लिए ग्रेडवार प्रमाणन/प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले बीसी जिन्हें उन्नत प्रशिक्षण दिया गया हो और उन्होंने इस संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, को जटिल कार्य जैसे वित्तीय उत्पादों की हैंडलिंग/डिलीवरी का कार्य सौंपा जाएगा जो कि जमाराशियों और विप्रेषण से आगे का कार्य है।

5.30 बीसी प्रणाली पर ट्रैक रखने के लिए बीसी एजेंटों, जिसमें वर्तमान और नए बीसी शामिल हैं, के पंजीकरण हेतु एक ढांचा तैयार किया गया है। रजिस्ट्री में बीसी की बुनियादी जानकारी जैसे कि बीसी की पहचान, नियत स्थान बीसी का लोकेशन और परिचालनों का स्वरूप आदि रखा जाएगा।

सारणी 5.1: वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत हुई प्रगति - सितंबर 2016 की स्थिति के अनुसार

(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2016 को समाप्त अवधि	सितंबर 2016 को समाप्त छमाही#
1	ग्रामीण स्थानों में बैंकिंग आउटलेट्स - शाखाएं	33,378	51,830	52,240
2	ग्रामीण स्थानों में बैंकिंग आउटलेट्स- शाखा रहित पद्धति	34,316	534,477	537,609
3	ग्रामीण स्थानों में बैंकिंग आउटलेट्स - कुल	67,694	586,307	589,849
4	बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	102,552	91,039
5	बीएसबीडीए- शाखा के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	60.2	238.2	247.4
6	बीएसबीडीए- शाखा के माध्यम से (राशि ₹ बिलियन में)	44.3	474.1	537.9
7	बीएसबीडीए- बीसी के माध्यम से (संख्या मिलियन में)	13.3	230.8	247.8
8	बीएसबीडीए-बीसी के माध्यम से (राशि ₹ बिलियन में)	10.7	164.0	181.1
9	बीएसबीडीए-कुल (संख्या मिलियन में)	73.5	469.0	495.2
10	कुल बीएसबीडीए (राशि ₹ बिलियन में)	55.0	638.1	719.0
11	बीएसबीडीए में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.2	8.0	8.4
12	बीएसबीडीए में ली गई ओवरड्राफ्ट सुविधा (राशि ₹ बिलियन में)	0.1	14.8	18.1
13	केसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	24.3	47.3	46.4
14	केसीसी-कुल (राशि ₹ बिलियन में)	1,240.1	5,130.7	5,543.4
15	जीसीसी-कुल (संख्या मिलियन में)	1.4	11.3	11.5
16	जीसीसी-कुल (राशि ₹ बिलियन में)	35.1	1,493.3	1,613.2
17	आईसीटी-खाते-बीसी- कुल लेनदेन की संख्या (संख्या मिलियन में)	26.5	826.8	550.6
18	आईसीटी-खाते-बीसी- कुल लेनदेन की राशि (राशि ₹ बिलियन में)	6.9	1,686.9	1,199.2

* रिर्पोटिंग अवधि वित्तीय वर्ष 2009-10/वित्तीय वर्ष 2015-16/अप्रैल-सितंबर 2016।

अनंतिम।

ऋण सलाहकारों का प्रमाणन

5.31 वर्ष 2016-17 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, आईबीए, सिडबी और अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श करने के बाद रिज़र्व बैंक ने ऋण सलाहकारों के प्रमाणित करने संबंधित फ्रेमवर्क को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है, ये ऋण सलाहकार उद्यमियों के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली की पहुंच हेतु सुलभकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। तदनुसार, यह फ्रेमवर्क भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को दे दिया गया है, क्योंकि सिडबी को उनके पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए प्रमाणित ऋण सलाहकार योजना को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।